

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जांच) विभाग

क्रमांक: प.3(1)कार्मिक/क-3/2004


जयपुर, दिनांक 28 JUN 2019

—: परिपत्र :—

प्रायः देखने में आता है कि विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण लम्बे समय तक लम्बित रहने के कारण कार्मिक के विरुद्ध शास्ति अथवा पदोन्नति इत्यादि की कार्यवाही लम्बे समय तक रूकी रहती है जिससे दोषी कार्मिकों के विरुद्ध समय पर दण्डक कार्यवाही समय पर नहीं हो पाती है एवं निर्दोष कार्मिक को अनावश्यक पदोन्नति से वंचित होना पड़ता है। विशेषरूप से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन/ग्रेच्युटी इत्यादि के भुगतान में भी बाधा उत्पन्न होती है।


मा. उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 371/2018 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम डॉ० मेघराज मीणा में एकलपीठ द्वारा डॉ० मेघराज मीणा के पक्ष में पारित आदेश को विधिपूर्ण आदेश माना है। डॉ० मेघराज मीणा बनाम राज्य सरकार केस में एकलपीठ द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 25.10.2017 द्वारा समय पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न ना करने पर दोषी अनुशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान दोषी अधिकारी से वसूलने के निर्देश दिये हैं।

अतः समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करावें अन्यथा प्रकरण में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक/वित्तीय जिम्मेदारी नियत करने की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित करवायी जावें।


(रमेश सिंह) 25/6/19
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल/मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।


(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

28 JUN 2019